राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 409/2017..........जिला.......जोधपुर..........

उनवान–मैसर्स मां कृपा सोप एण्ड जिटजेन्ट इण्डस्ट्रीज, जवासिया, जोधपुर जयपुर बनाम् सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट तृतीय, वृत–बी, जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.04.2017	एकलपीठ श्री मदन लाल मालवीय,सदस्य अपीलार्थी व्यवहारी के अभिभाषक श्री पी.एम.चौपडा एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री डी.पी.ओझा उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर, जोधपुर, (जिसे आगे ''अपीलीय अधिकारी'' कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.01.2017, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । उक्त आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट तृतीय, पीपाड शहर, वृत–बी, जोधपुर (जिसे आगे ''निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2013–14 के लिए पारित निर्धारण आदेश दिनांक 27.06.2016, जो कि अधिनियम की धारा 24(3)(बी) के अन्तर्गत पारित किया गया है, में कायम की गयी मांग राशि 2,51,871/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखे जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान उक्त की मांग राशि रू. 2,51,871/– में से रू.2,42,356/–की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी है। उभय पक्ष की बहस सुनी गयी । .अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी का आदेश प्रथम दृष्ट्या ही अविधिक एवम् अनुचित है । उनका कथन है कि वित्त विभाग की ओर जारी अधिसूचना संख्या एफ.12 (84)एफडी/टैक्स/2009–20 दिनांक 08.07.2009 के अन्तर्गत के.वी.आई.सी. यूनिट छूट के लिए पात्र है। उनका कथन है कि उक्त अधिसूचना के आधार पर प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में होने से रू.2,42,356/–की वसूली पर रोक लगाने का निवेदन किया गया। गया ।	

विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा निर्धारण अधिकारी एवम् अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट कर बकाया वसूली पर रोक नहीं लगाने की प्रार्थना की गयी ।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष की बहस पर विचार करने के पश्चात अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु आवेदित राशि रू. 2,42,356/– की वसूली पर, निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की दशा में, अग्रिम तारीख पेशी तक रोक लगायी जाती है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जायेगा । तहत रिकार्ड शीघ्र तलब हो। प्रकरण सुनवायी हेतु दिनांक 21.06.2017 को एकलपीठ अजमेर के समक्ष पेश हो ।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य